

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र बेरीवाला तला

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

लाधुराम पुत्र कुम्पाराम जाति
जाट निवासी रामसर कुआं,
तहसील व जिला बाड़मेर

1. चैनाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 2. खेताराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 3. पैलादराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 4. जालाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज 5. श्रीमती आसु देवी पत्नि देराज उर्फ हेराज 6. गैनाराम पुत्र श्री दानाराम 7. रेखाराम पुत्र दानाराम 8. पोकरराम पुत्र दानाराम 9. वगताराम पुत्र दानाराम 10. डालूराम पुत्र देराजराम 11. श्रीमती भूरी देवी पत्नि देराजराम जातियान जाट निवासीयान रामसर का कुआं, तहसील व जिला बाड़मेर 12. राऊराम पुत्र कवराराम 13. आईदानराम पुत्र जेटाराम 14. बांकाराम पुत्र गोकलाराम 15. बालाराम पुत्र सुखाराम 16. मारूराम पुत्र रामाराम 17. मोमताराम पुत्र श्री रामाराम 18. रेखाराम पुत्र रामाराम 19. तेजाराम पुत्र रामाराम 20. नानगाराम पुत्र रामाराम 21. पोकरराम पुत्र भूराराम 22. मांगीलाल पुत्र भूराराम 23. श्रीमती झूठीदेवी पत्नि भूराराम 24. दुर्गाराम पुत्र चैनाराम 25. मोमाराम पुत्र चैनाराम 26. जेटाराम पुत्र चैनाराम 27. रामाराम पुत्र चैनाराम 28. हनुमानराम पुत्र चैनाराम 29. कंसीदेवी पत्नि चैनाराम 30. भवरलाल पुत्र पोकरराम 31. झीमा पत्नि पोकरराम 32. लुम्बाराम पुत्र रूपाराम 33. बाबुलाल पुत्र रूपाराम 34. पूराराम पुत्र गोंदू 35. पुरखाराम पुत्र गोंदू 36. हुकराराम पुत्र गोंदू 37. विशनाराम पुत्र गोंदू 38. मूलाराम पुत्र भानाराम 39. जुगताराम पुत्र गंगाराम 40. साजनराम पुत्र कालूराम 41. लिखमाराम पुत्र कालूराम 42. टीकराम पुत्र गंगाराम 43. पेमी देवी पत्नि गंगाराम 44. शातिदेवी पत्नि हडुमानराम 45. नरेन्द्र पुत्र हडुमानराम 46. भारूराम पुत्र सिदाराम 47. जेटाराम पुत्र सिदाराम 48. मूलाराम पुत्र सिदाराम 49. भेराराम पुत्र सिदाराम 50. मानाराम पुत्र सिदाराम 51. नवलाराम पुत्र सिदाराम 52. लुम्बाराम पुत्र रूपाराम 53. बाबू उर्फ बलवीर पुत्र रूपाराम जातियान जाट निवासीयान बेरीवाला तला, तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-64/2020

दिनांक-25.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा ग्राम ऊरडा नाडां पटवार हल्का बेरीवाला तला तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1742/1271 रकबा 11.13 बीघा किस्म दोगम के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 25/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6457-6460

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी लाधुराम पुत्र कुम्पाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआं तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी चैनाराम पुत्र देराज उर्फ हेराज जाति जाट निवासी रामसर का कुआं तहसील एवं जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर